झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड शहरी फेरीवाले (आजीविका सुरक्षा और वेडिंग विनियमन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड शहरी फेरीवाले (आजीविका सुरक्षा और वेडिंग विनियमन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

खण्ड ।

1. अध्याय-1 : प्रारंभिक (संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ) ।
2. अध्याय-2 : फेरीवाले दुकानदारी के लिए स्कीम (संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ) ।
3. अध्याय-3 : शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति ।
4. अध्याय-4 : फेरीवाले दुकानदारों का निबंधन ।
5. अध्याय-5 : स्थानीय प्राधिकार का कर्त्तव्य ।
6. अध्याय-6 : योजना प्राधिकार के कर्त्तव्य ।
7. अध्याय-7 : शर्त्त-भंग तथा शास्ति ।
8. अध्याय-8 : प्रकीर्ण ।

झारखंड शहरी फेरीवाले (आजीविका सुरक्षा और वेंडिंग विनियमन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अध्याय-1

प्रारंभिक

(संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ)

1. (1) यह विधेयक झारखंड शहरी फेरीवाले *(आजीविका सुरक्षा और वेंडिंग विनियमन)* विधेयक, 2011 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(4) इस विधेयक के उपबंध रेलवे के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित भूमि, परिसर या रेलगाड़ी पर लागू नहीं होंगे ।

2. (1) जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विधेयक में :-

(क) 'समुचित सरकार' से अभिप्रेत है -

(i) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित भूमि के संबंध में; केन्द्र सरकार;

(ii) झारखंड सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित भूमि के संबंध में; झारखण्ड राज्य सरकार;

(ख) ''धारण क्षमता'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसा फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र जिसमें रहनेवाले फेरीवाले दुकानदारों की अधिकतम संख्या;

(ग) ''स्थानीय प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, नगर निगम या नगर परिषद् या नगर पंचायत, चाहे जिस नाम से जाना जाय अथवा छावनी पर्षद् या यथास्थिति, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा-47 के अधीन नियुक्त सिविल क्षेत्र समिति अथवा कोई ऐसा अन्य निकाय जो किसी शहर या नगर में नागरिक सेवा उपलब्ध कराने एवं फुटपाथ दुकानदारी को विनियमित करने के लिए स्थानीय प्राधिकार के रूप में कार्य करनेवाले का विधिमान्य हकदार हो तथा इसमें उस शहर या नगर में भूमि उपयोग विनियमित करनेवाला (योजना प्राधिकार) भी शामिल है; (1996 का 1 तथा 2006 का 41)

(घ) ''अधिसूचना'' से अभिप्रेत है, राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(ङ) ''योजना प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, शहरी विकास प्राधिकार अथवा किसी नगर या शहर में सरकार द्वारा अभिहित कोई अन्य प्राधिकार जो किसी महायोजना या विकास योजना या परिक्षेत्र योजना या अभिन्यास योजना या किसी अन्य स्थानिक योजना में किसी खास क्रियाकलाप के लिए सीमांकित क्षेत्र में भूमि उपयोग को विनियमित करने का उत्तरदायी है तथा जो लागू शहर एवं देहात योजना अधिनियम या शहरी विकास अधिनियम या नगरपालिका अधिनियम के अधीन वैध रूप से प्रर्वत्तनीय है;

(च) ''विहित'' से अभिप्रेत है, समुचित सरकार द्वारा इस विधेयक के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(छ) ''स्कीम'' से अभिप्रेत है, धारा-3 के अधीन समुचित सरकार द्वारा निर्मित स्कीम;

(ज) ''विनिर्दिष्ट'' से अभिप्रेत है, स्कीम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट;

(झ) ''राज्य नोडल पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य में शहरी फेरीवाले दुकानदारी से संबंधित सभी मामलों के समन्वय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित कोई पदाधिकारी;

(ञ) ''फेरीवाले दुकानदार'' से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो गली, लेन, पार्श्वपथ, फुटपाथ खडंजा, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल या निजी क्षेत्र में सामान, माल, सौदा, खाद्य सामग्री की बिक्री करता है अथवा अस्थायी रूप से दूकान की संरचना खड़ा करता है अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम-घूमकर बेचता है या अपनी सेवा प्रदान करता है तथा जिसमें शामिल हैं हॉकर, पैकार, बैठकर बेचनेवाला और अन्य सभी समानार्थी जो ''फेरीवाले दुकानदार'' के अंतर्गत आते हैं, तदनुसार शामिल होंगे;

(ट) ''शहरी फुटपाथ दुकानदारी समिति'' से अभिप्रेत है, धारा-4 के अधीन समुचित सरकार द्वारा गठित निकाय;

(ठ) ''फुटपाथ दुकानदारी परिक्षेत्र'' से अभिप्रेत है फुटपाथ दुकानदारी के लिए फुटपाथ दुकानदारों द्वारा विशेष रूप से उपयोग किए जाने के लिए योजना प्राधिकार द्वारा यथाभिहित कोई क्षेत्र या स्थल या स्थान जिसमें फुटपाथ, पार्श्वपथ, खड़ंजा, तटबंध, किसी गली का कुछ अंश, जनता के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र अथवा कोई ऐसा स्थल, जिसे फुटपाथ दुकानदारी एवं आम जनता को सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त समझा जाता है।

(2) उस क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध लागू नहीं है तो उस क्षेत्र में लागू तत्समान विधि, यदि कोई हो, के निर्देश के रूप में इस विधेयक के निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा।

अध्याय-2

फेरीवाले दुकानदारी के लिए स्कीम

(संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ)

3. (1) इस विधेयक के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा कोई स्कीम बनाएगी जिसमें निम्नलिखित में से कोई या सभी मामलों को विनिर्दिष्ट कर सकती है :-

(क) फेरीवाले दुकानदारों के लिए निबंधन प्रमाणपत्र देने, उसके नवीकरण, निलंबित रखने या रद्द करने का प्रपत्र एवं तरीका तथा परिचय पत्र निर्गत करना,

(ख) निबंधन प्रमाणपत्र प्रदान करने एवं उसके नवीकरण के लिए शुल्क उद्ग्रहण एवं संग्रहण की रीति तथा निबंधन एवं इस विधेयक के अन्य उपबंधों की शर्त्तें एवं बंधेज के उल्लंघन के लिए जुर्माना,

(ग) फेरीवाले दुकानदारों के निबंधन के संबंध में स्थानीय प्राधिकार में अपील करने का प्रपत्र एवं रीति तथा अपीलों के निपटारा के लिए प्रक्रिया;

(घ) निबंधित फेरीवाले दुकानदारों को दूकान-आवंटन की रीति एवं शर्त्तें तथा बंधेज;

(ङ) अनुज्ञप्ति प्रदान करने, नवीकरण, निलंबन या रद्द करने के लिए प्रपत्र एवं रीति;

(च) अनुज्ञप्ति प्रदान करने एवं उसके नवीकरण के लिए शुल्क उद्ग्रहण और संग्रहण करने की रीति तथा अनुज्ञप्ति की शर्त्तें एवं बंधेज के उल्लंघन पर जुर्माना;

(छ) महायोजना, विकास योजना, परिक्षेत्र योजना, अभिन्यास योजना या किसी अन्य स्थानिक योजना में फेरीवाले दुकानदारों के लिए फेरीवाले दुकानदारी के परिक्षेत्र को कर्णांकित करने के लिए योजना प्राधिकार द्वारा अंगीकृत की जानेवाली स्थानिक योजना का प्रतिमान;

(ज) प्रतिबंध मुक्त फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र, प्रतिबंधित फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र एवं गैर फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र के निर्धारण हेतु सिद्धांत;

(झ) ऐसी शर्त्तें जिनके अधीन सार्वजनिक स्थल को प्रतिबंध मुक्त फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र, प्रतिबंधित फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र और गैर फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र के रूप में अभिहित किया जा सकता है।

(ञ) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र की धारण क्षमता के निर्धारण हेतु सिद्धांत तथा फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र की धारण क्षमता के भीतर फेरीवाले दुकानदारों के रहने के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञों की सहायता से उनकी वर्तमान संख्या का सर्वेक्षण एवं व्यापक गणना कराने की डिजिटल फोटो रीति;

(ट) फेरीवाले दुकानदारी के शर्त्तें एवं बंधेज जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अनुरक्षण हेतु पालन किए जानेवाले प्रतिमान भी शामिल हैं।

(ठ) राज्य स्तर पर फेरीवाले दुकानदारी से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए झारखंड राज्य नोडल पदाधिकारी को नामोद्दिष्ट करना;

(ड) झारखंड राज्य के शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति, स्थानीय प्राधिकार, योजना प्राधिकार एवं राज्य नोडल पदाधिकारी द्वारा समुचित अभिलेख एवं अन्य कागजात के अनुरक्षण की रीति,

(ढ) फेरीवाले दुकानदारों को नोटिस देने, दुकान से बेदखली, कुर्की, ध्वस्त करने अथवा माल एवं साज-सामान को जब्त करने तथा बेदखल फेरीवाले दुकानदारों को पुनः जगह देने और उनको मुआवजा देने की रीति;

(ण) कोई अन्य विशिष्टियाँ जिसे समुचित सरकार द्वारा स्कीम में शामिल करने के लिए उचित समझा जाय

(2) उपधारा (i) के अधीन समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम का संक्षिप्त विवरण यथाविहित रीति से कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

अध्याय-3

शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति

4. (1) समुचित सरकार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार में एक शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) यथास्थिति, नगरपालिका आयुक्त या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जो अध्यक्ष होगा; और

(ख) स्थानीय प्राधिकार, योजना प्राधिकार, यातायात पुलिस, फेरीवाले दुकानदार संघ, बाजार संघ, व्यापारी संघ, निवासी कल्याण संघ, राष्ट्रीयकृत बैंक एवं इसमें अभिरुचि रखनेवाले अन्य व्यक्ति, जिसे उचित समझा जाए, के प्रतिनिधित्व करनेवाले समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जानेवाले यथाविहित संख्या में अन्य सदस्य;

परन्तु फेरीवाले दुकानदारों के प्रतिनिधित्व करनेवाले नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी तथा ऐसे सदस्यों की एक तिहाई महिला फेरीवाले दुकानदार में से होगी, परन्तु यह और कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(3) अध्यक्ष और उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य समुचित सरकार द्वारा यथाविहित भत्ता प्राप्त करेंगे।

(4) अध्यक्ष और उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य जबतक कि समुचित सरकार द्वारा उनका नामनिर्देशन समाप्त नहीं किया जाए, अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्षों तक पद धारण करेंगे।

5. शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति स्थानीय प्राधिकार के क्षेत्राधिकार के भीतर यथाविहित समय एवं स्थान पर बैठक करेगी तथा अपनी बैठक के कार्यसंचालन एवं कृत्यों के निर्वहन के लिए यथाविहित प्रक्रिया के नियमों का पालन करेगी।

6. (1) शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति यदि इस विधेयक के किसी उपबंध को कार्यान्वित करने में किसी व्यक्ति की सहायता या सलाह लेना चाहे तो यथाविहित प्रयोजनार्थ एवं रीति से स्वयं पहल करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजनार्थ इस प्रकार संबद्ध कोई व्यक्ति को उस प्रयोजन से सबंधित विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु समिति की बैठक में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजनार्थ सदस्य नहीं होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार संबद्ध व्यक्ति को यथाविहित भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

7. समुचित सरकार शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति को यथाविहित कार्यालय स्थल और अन्य कर्मचारी मुहैया कराएगी।

8. शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति यथाविहित प्रयोजनों के लिए यथाविहित रीति से वार्ड फेरीवाले दुकानदारी समिति का गठन कर सकती है।

9. समुचित सरकार शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति को निम्नलिखित कार्य सौंप सकती है:-

(क) यथाविहित प्रपत्र एवं रीति तथा शर्तें एवं बंधेज के अधीन फेरीवाले दुकानदारों को निबंधन प्रमाणपत्र प्रदान करने, उसका नवीकरण, निलंबन या रद्द करना;

(ख) फेरीवाले दुकानदारों को यथाविहित प्रपत्र एवं रीति से परिचयपत्र निर्गत करना;

(ग) फेरीवाले दुकानदारों के निबंधन एवं उसके नवीकरण के लिए यथाविनिर्दिष्ट शुल्क का संग्रहण;

(घ) निबंधन, चलंत दुकानों के लिए पार्किंग स्थल के उपयोग एवं नागरिक सुविधा का लाभ उठाने के लिए बैंक, स्थानीय प्राधिकार के काउंटर या शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति के काउंटर के माध्यम से स्थानीय प्राधिकार से परामर्श करके शुल्क संग्रहण करने की रीति निर्धारित करना;

(ङ) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र की पहचान एवं चिह्नित करना;

(च) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र में दुकानदारी के लिए समय विनिर्दिष्ट करना;

(छ) भूमि, गली, फुटपाथ, तटबंध, प्रतीक्षा क्षेत्र, पार्क एवं फेरीवाले दुकानदारी के लिए अभिहित अन्य सार्वजनिक स्थल के अभिलेखों का यथाविनिर्दिष्ट रीति से अनुरक्षण;

(ज) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्रों के आवधिक सर्वेक्षण का संचालन;

(झ) फेरीवाले दुकानदारों से सबंधित आँकड़ों का संग्रहण एवं अनुरक्षण;

(ञ) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्रों में विभिन्न कोटि की अचल एवं चलंत दुकानों के मात्रात्मक मानकों का निर्धारण;

(ट) प्रत्येक फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र की अधिकतम धारण क्षमता को निर्धारित एवं निश्चित करना;

(ठ) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्रों को यथाविनिर्दिष्ट रीति से प्रतिबंध मुक्त फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र, प्रतिबंधित फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र एवं गैर फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र के रूप में चिह्नित एवं घोषित करना;

(ड) यह किस प्रकार का फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र है, उसकी परिसीमा एवं दुकानदारी समय को उपदर्शित करते हुए प्रत्येक फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र में सूचना पट्ट चिपकाना;

(ढ) साप्ताहिक हाट, रात्रि बाजार, अवकाश बाजार एवं त्योहार बाजार के फेरीवाले दुकानदारों के स्थान एवं समय घोषित करना तथा प्राकृतिक बाजारों को संरक्षित करना;

(ण) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र में पर्याप्त नागरिक सुविधा सुनिश्चित करना, जिसमें जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, बिजली उपलब्ध कराना शामिल हैं;

(त) फेरीवाले दुकानदारों की गतिविधियों का अनुश्रवण;

(थ) जनता को उपलब्ध कराए जानेवाले उत्पादों तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और स्थानीय प्राधिकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सुरक्षा मानकों को बनाए रखना;

(द) यह सुनिश्चित करना कि आवंटित दुकानों का उपयोग विनिर्दिष्ट शर्त्तें एवं बंधेज के अनुसार आवंटी द्वारा किया जाय;

(ध) विनिर्दिष्ट रीति से निबंधन निर्गत करना, उसका नवीकरण, निलंबन या रद्द करने के लिए शर्त्तें एवं बंधेज का उल्लेख करना;

(न) कार्रवाई का निर्धारण जिसमें निबंधन के लिए शर्त्तें एवं बंधेज का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाना भी शामिल है;

(प) सांस्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से साख के बारे में जागरूकता बढ़ाना;

(फ) झारखंड फेरीवाले दुकानदारों की गतिविधि को विनियमित करने के लिए मानक का निर्धारण;

(ब) झारखंड फेरीवाले दुकानदारों की मृत्यु, बीमारी या निःशक्तता की दशा में जीवन बीमा लाभ, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के उपबंध हेतु शर्त्तें एवं बंधेज निर्धारित करना;

(भ) फेरीवाले दुकानदारों के संघ एवं स्वयं सहायता समूह स्थापित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त का अधिकथन;

(म) झारखंड फेरीवाले दुकानदारों को उद्यमिता तथा तकनीकी एवं कारोबार कौशल की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;

(य) फेरीवाले दुकानदारों को हटाने, दूसरे जगह स्थानांतरित करने, सामग्री जब्त करने आदि शिकायतों तथा विवादों को निपटाना;

10. शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति यथाविहित प्रपत्र में तथा रीति से अपनी वार्षिक लेखा विवरणी तैयार एवं प्रकाशित करेगी।

अध्याय-4
फेरीवाले दुकानदारों का निबंधन

11. (1) ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्षों की उम्र पूरी कर ली हो एवं फेरीवाले दुकानदारी करना चाहता है, वह फेरीवाले दुकानदार के रूप में निबंधन हेतु शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति के पास आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन यथाविहित प्रपत्र एवं रीति से यथाविहित शुल्क के साथ लिया जाएगा।

12. (1) उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी आवेदन की जाँच शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति द्वारा की जाएगी तथा यथाविनिर्दिष्ट रीति से एवं अवधि के भीतर निबंधन किया जाएगा;

परन्तु विनिर्दिष्ट अवधि पूरी हो जाने पर यदि आवेदन की अस्वीकृति या त्रुटि के बारे में आवेदक को कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो आवेदक को निबंधित समझा जाएगा।

(2) यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो तो आवेदक को उसे सुधारने एवं सुने जाने का अवसर दिए बिना शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति द्वारा उसे सरसरी तौर पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(3) यदि यथास्थिति, शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदन इस विधेयक एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों या स्कीमों का अनुपालन करते हुए किया गया है तो वह फेरीवाले दुकानदार का नाम दर्ज करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति यथाविनिर्दिष्ट रीति से एवं अवधि के भीतर स्थानीय प्राधिकार के पास अपील कर सकता है।

13. (1) स्थानीय प्राधिकार फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्रों में दुकानों के आवंटन में निबंधित फेरीवाले दुकानदारों को प्राथमिकता देगा।

(2) फेरीवाले दुकानदारों को दुकानों का आवंटन यथाविनिर्दिष्ट रीति से तथा शर्तें एवं बंधेज के अध्यधीन किया जाएगा।

14. निबंधित फेरीवाले दुकानदार जिनको फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र में दुकान का आवंटन किया गया है उनको अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी और यथाविनिर्दिष्ट रीति से शुल्क के भुगतान करने पर यथाविनिर्दिष्ट शर्तें एवं बंधेज के अध्यधीन स्थानीय प्राधिकार द्वारा समय-समय पर उसका नवीकरण किया जाएगा।

अध्याय-5
स्थानीय प्राधिकार का कर्त्तव्य

15. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात को अंतर्विष्ट होते हुए भी स्थानीय प्राधिकार निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा :-

(क) फेरीवाले दुकानदारों के लिए स्कीम का समग्र पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण;

(ख) शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति के प्रभावी कार्यों का अनुश्रवण;

(ग) विनिर्दिष्ट रीति से फेरीवाले दुकानदारों के निबंधन से संबंधित अपीलों का निपटारा;

(घ) विनिर्दिष्ट रीति से फेरीवाले दुकानदारों के लिए दुकानों का आवंटन;

(ङ) विनिर्दिष्ट रीति से निबंधित झारखंड फेरीवाले दुकानदारों की अनुज्ञप्ति की मंजूरी, नवीकरण, निलंबन या रद्द करना;

(च) शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति के परामर्श से फेरीवाले दुकानदारों को फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्रों में नागरिक सेवा उपलब्ध कराना, जिसमें शामिल हैं :-

(i) ठोस कचरा निपटारा;

(ii) सफाई बनाए रखने के लिए सार्वजनिक शौचालय;

(iii) विद्युत;

(iv) पेयजल;

(v) फेरीवाले दुकानदारों एवं उनके माल की रक्षा के लिए छाजन,

(vi) भंडारण सुविधा, सौन्दर्यीकरण, Signage अधिष्ठापित करना और

(vii) फेरीवाले दुकानदारों द्वारा यथापेक्षित एवं स्कीम में विनिर्दिष्ट अन्य सुविधाएँ।

(छ) निबंधन, चलन्त दुकानों के लिए पार्किंग स्थल के उपयोग एवं नागरिक सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक स्थानीय प्राधिकार के काउंटर एवं शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति के काउंटर के माध्यम से शुल्क संग्रहण की रीति शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति से परामर्श करके निर्धारित करना;

(ज) शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति से परामर्श करके फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र की धारण क्षमता के भीतर रहनेवाले फेरीवाले दुकानदारों के प्रयोजनार्थ यथाविनिर्दिष्ट रीति से एवं विशेषज्ञों की सहायता से वर्त्तमान फेरीवाले दुकानदारों की संख्या का व्यापक सर्वेक्षण तथा डिजिटल फोटो गणना कराना;

(झ) फेरीवाले दुकानदारों का संपूर्ण डाटाबेस अपनी वेबसाइट पर डालना और नियमित अंतराल पर उसे अद्यतन करते रहना;

अध्याय-6
योजना प्राधिकार के कर्त्तव्य

16. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी योजना प्राधिकार निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा :-

(क) फेरीवाले दुकानदारी के लिए स्थानिक योजना मानक का निर्धारण;

(ख) महायोजना, विकास योजना, परिक्षेत्र योजना, अभिन्यास योजना एवं कोई अन्य योजना में फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र के लिए स्थल कर्णांकित करना;

(ग) योजना मानकों के बारे में शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति के कार्यों का अनुश्रवण;

(घ) अभिहित फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र में फेरीवाले दुकानदारों को जगह देने के लिए नगर या शहर की महायोजना, विकास योजना, परिक्षेत्र योजना, अभिन्यास योजना एवं किसी अन्य योजना का संशोधन कराना;

(ङ) नगर या शहर की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्रों का सीमांकन;

(च) उस नगर या शहर में फेरीवाले दुकानदारों की विद्यमान एवं भविष्य में उसकी वृद्धि के लिए यथाविनिर्दिष्ट मानकों को अपनाते हुए सहायक एवं पर्याप्त स्थानिक योजना बनाना;

(छ) समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्य या कर्तव्यों का निर्वहन।

अध्याय-7
शर्त-भंग तथा शास्ति

17. जहाँ इस विधेयक के अधीन निबंधित कोई फेरीवाले दुकानदार या उसका अभिकर्त्ता या सेवक किसी शर्त अथवा इस विधेयक के अधीन फेरीवाले दुकानदारी को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी अन्य शर्तें एवं बंधेज अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या स्कीम को भंग करता है अथवा जहाँ शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति का समाधान हो जाता है कि ऐसा निबंधन दुर्व्यपदेशन या कपट के जरिए झारखंड फेरीवाले दुकानदार द्वारा प्रतिभूत किया गया है तो शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति ऐसे किसी अन्य जुर्माना पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस विधेयक के अधीन फेरीवाले दुकानदार द्वारा उपगत है, उसका निबंधन रद्द कर सकती है या उस अवधि तक उसे निलंबित कर सकती है, जो वह उपयुक्त समझे;

परन्तु शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति द्वारा ऐसा रद्दकरण या निलंबन तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि फेरीवाले दुकानदार को सुने जाने का अवसर न प्रदान किया गया है।

18. जहाँ ऐसा कोई फेरीवाले दुकानदार जिसे इस विधेयक के अधीन दुकान आवंटित किया गया है या अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है अथवा उसका कोई अभिकर्त्ता या सेवक उसकी किसी शर्त अथवा इस विधेयक के अधीन फेरीवाले दुकानदारी को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ किसी अन्य शर्तें एवं बंधेज अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों या स्कीमों को भंग करता है अथवा जहाँ स्थानीय प्राधिकार का यह समाधान हो जाता है कि यथास्थिति, दुकान का ऐसा आवंटन या अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन या कपट के जरिए झारखंड फेरीवाले दुकानदार द्वारा प्रतिभूत किया गया है तो स्थानीय प्राधिकार ऐसे किसी अन्य जुर्माना पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस विधेयक के अधीन फेरीवाले दुकानदार द्वारा उपगत है, वह यथास्थिति, दुकान का आवंटन या अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है अथवा उस अवधि तक निलंबित कर सकता है जो वह उपयुक्त समझे;

परन्तु, स्थानीय प्राधिकार द्वारा ऐसा रद्दकरण या निलंबन तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि फेरीवाले दुकानदार को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

19. यदि कोई फेरीवाले दुकानदार :-

(क) बिना निबंधन के फेरीवाले दुकानदारी करता है;

(ख) अभिहित फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र के बाहर अथवा विनिर्दिष्ट समय के बाद बिक्री करता है;

(ग) ऐसा माल बेचता है अथवा ऐसी सेव प्रदान करता है जो लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकर है;

(घ) निबंधन की शर्तें एवं बंधेज का उल्लंघन करता है;

(ङ) दुकान आवंटन अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तें एवं बंधेज का उल्लंघन करता है; अथवा

(च) इस विधेयक के अधीन फेरीवाले दुकानदारी को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम का स्कीम में विनिर्दिष्ट किसी अन्य शर्तें एवं बंधेज का उल्लंघन करता है तो वह यथास्थिति, शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति या स्थानीय प्राधिकार द्वारा यथानिर्धारित एक हजार रुपये की शास्ति का दायी होगा ।

अध्याय-8

प्रकीर्ण

20. प्रत्येक शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति समय-समय पर समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार को यथाविहित विवरणी देगी।

21. समुचित सरकार शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति, स्थानीय प्राधिकार, योजना प्राधिकार एवं फेरीवाले दुकानदारों के संगठन या संघ के परामर्श से फेरीवाले दुकानदारों के लिए उपलब्ध साख, बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीम को बढ़ाने का उपाय करेगी।

22. समुचित सरकार वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता तक-

(क) झारखंड फेरीवाले दुकानदारों एवं इस विधेयक के अधीन अपेक्षित अधिकार का प्रयोग कैसे किया जाए के लिए क्षमता निर्माण कार्याक्रमों का आयोजन एवं विकास कर सकती है;

(ख) सामान्यतः और विशेषकर फेरीवाले दुकानदारों में अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका की समझदारी एवं जानकारी तथा शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति के माध्यम से जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए शोध, शिक्षा एवं प्रशिक्षण करा सकती है।

23. इस विधेयक के उपबंधों अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों या स्कीमों के अध्यधीन स्थानीय प्राधिकार निम्नलिखित सभी या किसी मामले के लिए उपबंध करने हेतु उपविधि बना सकता है:-

(क) प्रतिबंधमुक्त फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र, प्रतिबंधित फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र एवं अभिहित फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्र में दुकानदारी का विनियमन तथा उसकी रीति;

(ख) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्रों में करों एवं शुल्कों के संग्रहण का विनियमन;

(ग) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्रों में यातायात का विनियमन

(घ) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्रों में जनता को उपलब्ध कराए जानेवाले उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता तथा लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए विनियमन;

(ङ) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्रों में नागरिक सेवा का विनियमन; और

(च) फेरीवाले दुकानदारी परिक्षेत्रों में यथावश्यक अन्य मामलों का विनियमन।

24. (1) समुचित सरकार शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति के परामर्श से इस विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतया एवं पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी मामले के लिए उपबंध किया जा सकता है:-

(क) धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित करने की रीति;

(ख) धारा-4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन सदस्यों की संख्या;

(ग) धारा-4 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष एवं सदस्यों के भत्ते;

(घ) बैठक के समय एवं स्थल, उसके कार्य संचालन की प्रक्रिया तथा धारा-5 के अधीन निर्वहन किए जानेवाले कार्य;

(ङ) धारा-6 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को संबद्ध करने के लिए रीति एवं प्रयोजन;

(च) धारा-6 की उपधारा (3) के अधीन संबद्ध व्यक्ति के लिए भत्ते;

(छ) धारा-7 के अधीन शहरी फेरीवाले दुकानदारी समिति के लिए अन्य कर्मचारी;

(ज) धारा-8 के अधीन वार्ड फेरीवाले दुकानदारी समिति के गठन और उसकी संख्या के लिए रीति एवं प्रयोजन;

(झ) धारा-10 के अधीन वार्षिक लेखा विवरणी तैयार एवं प्रकाशित करने के लिए प्रपत्र एवं रीति;

(ञ) धारा-20 के अधीन दाखिल की जानेवाली विवरणी।

(3) इस विधेयक के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, स्कीम और उपविधि, बनाए जाने के तुरत बाद राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो एक सत्र अथवा दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट हो, रखे जायेंगे और यदि उपर्युक्त सत्र या उसके ठीक बाद वाले सत्र या उत्तरवर्ती सत्रों के अवसान होने के पहले सदन नियम या स्कीम या उपविधि में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाता है कि नियम या स्कीम या उपविधि नहीं बनाए जायें तो वह नियम या स्कीम या उपविधि यथास्थिति, केवल अपने उपांतरित रूप में ही प्रभावी होंगे अथवा उनका कोई प्रभाव नहीं होगा; किन्तु ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम या स्कीम या उपविधि के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा ।

****

यह विधेयक झारखण्ड शहरी फेरीवाले (आजीविका सुरक्षा और वेंडिंग विनियमन) विधेयक, 2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 30 अगस्त, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 48--50--13-9-2011 ।